

अध्यायों की सूचि हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते) नियम, 2016		देखिए पृष्ठ
अध्याय – I	प्रारम्भिक	1
अध्याय – II	परिभाषाएं	5
अध्याय – III	विभिन्न भत्ते तथा उसके सिद्धांत	9
अध्याय – IV	सरकारी आवास की अनुज्ञप्ति फीस तथा किराए की वसूली	21
अध्याय –V	मानदेय तथा फीस	35
	अनुबन्ध : 'क'	43

नियमों की सूची
हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते) नियम, 2016

अध्याय – I	प्रारम्भिक
1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2.	लागूकरण की सीमा।
3.	इन नियमों से असंगत विशेष उपबन्ध, यदि कोई हों।
4.	सरकारी कर्मचारी के दावे का विनियमन
5.	निर्वचन, संशोधन तथा छूट करने की शक्ति।
6.	शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन।
7.	नियमों का निरसन तथा व्यावृत्ति।
अध्याय – II	परिभाषाएं
8.	परिभाषाएं
अध्याय – III	विभिन्न भत्ते तथा उसके सिद्धांत
9.	भत्ते देने के लिए सामान्य सिद्धांत।
10.	अवकाश के दौरान भत्तों की हकदारी।
11.	पदग्रहण काल के दौरान भत्ते देना।
12.	अस्थाई स्थानान्तरण के दौरान भत्ते देना।
13.	मंहगाई भत्ते की हकदारी।
14.	मकान किराया भत्ता देना।
15.	स्थानान्तरण पर मकान किराया भत्ते की हकदारी।
16.	सेवा के समय मृत्यु के मामले में मकान किराया भत्ता।
17.	मकान किराया भत्ते की कपटपूर्ण प्राप्ति पर अनुशासनिक कार्रवाई।
18.	पहाड़ी क्षेत्र प्रतिपूर्ति भत्ता देना।
19.	वर्दी भत्ता देना।
20.	ग्रुप घ कर्मचारियों को साईकिल भत्ता देना।
21.	कतिपय ग्रुप 'घ' कर्मचारियों को विशेष भत्ता।
22.	नेत्रहीन तथा विकलांग सरकारी कर्मचारियों को वाहन भत्ता।

23.	नेत्रहीन तथा विकलांग-विज्ञान रूप में अपंग (ओरथोपेडिकली हैण्डिकैपड) सरकारी कर्मचारी को वाहन भत्ता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा प्रक्रिया।
24.	अन्य सरकारी कर्मचारी को वाहन भत्ता।
25.	बालक शिक्षा भत्ता की हकदारी।
26.	गैर-व्यवसाय भत्ता देना।
27.	पुनः नियोजन की अवधि के दौरान भत्ते।
अध्याय – IV	सरकारी आवास की अनुज्ञप्ति फीस तथा किराए की वसूली
28.	सरकारी आवास की अनुज्ञप्ति फीस।
29.	रेलवे प्रशासन द्वारा या विलोमतः मकान के आबंटन पर अनुज्ञप्ति फीस।
30.	अनुज्ञप्ति फीस का न दिया जाना यदि किसी विधि के अधीन छुट प्राप्त है।
31.	अनुज्ञप्ति फीस तथा किराये के निर्धारण के लिए भवन की पूंजीगत लागत।
32.	सरकारी आवास का मूल्यांकन।
33.	आवासों का पुनर्मूल्यांकन।
34.	स्वच्छता तथा जल तथा बिजली की आपूर्ति का मूल्यांकन।
35.	सरकार द्वारा पट्टा पर लिया गया आवास या स्वामित्वाधीन आवास के मानक किराये की गणना।
36.	मानक किराये का संशोधन।
37.	सरकार को भेंट किए गए आवास का मानक किराया।
38.	लघु परिवर्धन तथा परिवर्तन का बहिष्करण।
39.	आवंटिती के अनुरोध पर किए गए परिवर्धन या परिवर्तन की अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस।
40.	किराये की बढ़ोतरी के बारे में समय पर सूचना।
41.	अस्थायी किराये की वसूली।
42.	किरायेदारी की शर्तें तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा भुगतानयोग्य किराया।
43.	सरकारी आवास की हकदारी।
44.	किराया निःशुल्क आवास तथा अनुज्ञप्ति फीस/किराये की राशि माफ या कम करना।
45.	अतिरिक्त सुविधाओं हेतु अतिरिक्त किराए की वसूली।
46.	सरकारी आवास की सामान्य अनुज्ञप्ति फीस के लिए सामान्य नियम।

47.	विभिन्न परिस्थितियों में सरकारी आवास रखना।
48.	सरकारी आवास में अधिक समय ठहरने पर शास्ति किराया।
अध्याय –V	मानदेय तथा फीस
49.	सरकारी आवास को उप किराये पर देने के लिए शास्ति किराया तथा बाजार किराया।
50.	मानदेय देना।
51.	अन्य विभाग के कर्मचारी को मानदेय देना।
52.	मानदेय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेवारी।
53.	सामान्य ड्यूटी की सेवा के लिए कोई मानदेय नहीं।
54.	फीस स्वीकार करने की अनुमति।
55.	फीस की स्वीकृति जब न्यायालय द्वारा सम्मन किए गए है।
56.	सरकारी कर्मचारी द्वारा फीस रखना।
57.	संचित निधि में एक तिहाई राशि को जमा करने से छूट।
58.	परीक्षा से सम्बन्धित कार्य के लिए फीस।
59.	मध्यस्थ के रूप में फीस।
60.	अध्ययन अवकाश के दौरान छात्रवृत्ति या कोई अन्य आय।
61.	आय जो फीस के अधीन नहीं आती है।
62.	किसी इनाम की राशि को रखना।
63.	संगठन से फीस की अस्वीकृति।